मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

पृ.क्रं.-

पिछला	अगला

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 182] भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 मार्च 2010—चैत्र 6, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक २७ मार्च २०१०

क्र. २०७३-१३०-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक १६ मार्च, २०१० को महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्व-साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ७ सन् २०१०.

भारतीय वन (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २००९.

विषय सूची.

धाराएं

१. संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९२७ का सं. १६ का संशोधन.

३. धारा २६ का संशोधन.

४. धारा ३३ का संशोधन.

५. धारा ५१ का संशोधन.

६. धारा ५२ का संशोधन.

७. धारा ५२-क का संशोधन.

८. धारा ५३ का स्थापन.

९. धारा ६३ का संशोधन.

१०. नई धारा ६६-क का अन्तःस्थापन.

११. धारा ६८ का स्थापन.

१२. धारा ७१ का स्थापन.

१३. धारा ७६ का संशोधन.

१४. धारा ७७ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ७ सन् २०१०

भारतीय वन (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २००९.

[दिनांक १६ मार्च, २०१० को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)". में दिनांक २७ मार्च, २०१० को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय वन अधिनियम, १९२७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय वन (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २००९ है.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९२७ का सं. १६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ का सं. १६) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा २६ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २६ की उपधारा (१) में, शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "पन्द्रह हजार रुपये" स्थापित किये जाएं.

धारा ३३ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ३३ की उपधारा (१) में, शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "पन्द्रह हजार रुपये" स्थापित किये जाएं.

धारा ५१ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ५१ की उपधारा (२) में, शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "पन्द्रह हजार रुपये" स्थापित किये जाएं.

धारा ५२ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ५२ में,—

(एक) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१) जब यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी आरक्षित वन और संरक्षित वन या वन-उपज के संबंध में कोई वन अपराध किया गया है, तब वन-उपज और समस्त औजार, नाव, यान, रस्सी, जंज़ीर या किन्हीं अन्य वस्तुओं को, जिनका प्रयोग ऐसे अपराध को करने में किया गया है, किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा अभिगृहीत किया जा सकेगा.";

(दो) उपधारा (५) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

"(६) अभिगृहीत सम्पत्ति, प्राधिकृत अधिकारी के आदेश की अपील प्राधिकारी द्वारा पुष्टि होने तक या उसके द्वारा स्वप्रेरणा से कार्रवाई प्रारंभ करने की कालावधि की समाप्ति तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, धारा ५२-क के अधीन यथाविहित अभिरक्षा में बनी रहेगी.

(७) जहां मामले की अधिकारिता रखने वाला प्राधिकृत अधिकारी, अभिग्रहण में या अन्वेषण में स्वयं अन्र्वलित है, वहां अगला उच्च प्राधिकारी इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के संचालन के लिये उसी श्रेणी के किसी अन्य अधिकारी को मामला अन्तरित कर सकेगा."

७. मूल अधिनियम की धारा ५२-क में, उपधारा (२) तथा उपधारा (६) में, शब्द "अधिहरण के आदेश" के स्थान पर, शब्द "प्राधिकृत अधिकारी के आदेश" स्थापित किए जाएं. — धारा ५२-क का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ५३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :— — धारा ५३ का स्थापन.

"५३. रेंजर से अनिम्न पंक्ति वाला कोई वन अधिकारी, जिसने या जिसके अधीनस्थ ने धारा ५२ के अधीन कोई औजार, नाव, यान या कोई अन्य वस्तु अभिगृहीत की है, इस प्रकार अभिगृहीत संपत्ति को धारा ५२ के अधीन प्राधिकृत अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष, जो उस अपराध का जिसके मद्दे अभिगृहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखता हो, जब ऐसा अपेक्षित हो, पेश करने हेतु एवं अधिकारी द्वारा यथा प्राक्कलित ऐसी संपत्ति के मूल्य के बराबर की ऐसी रकम की, ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाए, प्रतिभूति का उसके स्वामी द्वारा निष्पादन करने पर उन्हें निर्मुक्त कर सकेगा.". — धारा ५२ के अधीन अभिगृहीत सम्पत्ति को निर्मुक्त करने की शक्ति.

९. मूल अधिनियम की धारा ६३ में, शब्द "वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा" के स्थान पर, शब्द "वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी और जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा" स्थापित किए जाएं. — धारा ६३ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ६६ के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात् :— — नई धारा ६६-क का अन्त:स्थापन.

"६६-क. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उसके उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करेगा, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे उपबंधों या नियमों का उल्लंघन किया है.". — अपराध का प्रयत्न या दुष्प्रेरण.

११. मूल अधिनियम की धारा ६८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :— — धारा ६८ का स्थापन.

"६८. (१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी वन अधिकारी को इस बात के लिए सशक्त कर सकेगी कि वह— — अपराधों का प्रशमन करने की शक्ति.

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरूद्ध यह युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने धारा ६२ या धारा ६३ में विनिर्दिष्ट अपराध से भिन्न कोई वन अपराध किया है, उस अपराध के लिए, जिसके बारे में यह संदेह है कि उसने ऐसा अपराध किया है, प्रतिकर के रूप में कोई धनराशि प्रतिगृहीत करे; और

(ख) जब कोई सम्पत्ति अधिहरण किए जाने के दायित्वाधीन होने के कारण अभिगृहीत कर ली गई है, तब समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिहरण का आदेश पारित किए जाने के पूर्व ऐसे अधिकारी द्वारा यथा प्राक्कलित उसके मूल्य का संदाय कर दिये जाने पर, उस सम्पत्ति को निर्मुक्त करे.

(२) ऐसे अधिकारी को, यथास्थिति ऐसी धनराशि या ऐसे मूल्य, या दोनों का संदाय किए जाने पर, संदिग्ध व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, उन्मोचित कर दिया जाएगा, और अभिगृहीत की गई सम्पत्ति, यदि कोई हो, निर्मुक्त कर दी जाएगी तथा ऐसे व्यक्ति या ऐसी सम्पत्ति के विरूद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी.

(३) कोई भी वन अधिकारी इस धारा के अधीन तब तक सशक्त नहीं होगा जब तक कि वह रेंजर की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का वन अधिकारी नहीं है, और उपधारा (१) के खण्ड (क) के

अधीन प्रतिक़र के रूप में प्रतिगृहीत धन की राशि किसी भी मामले में वन उपज के मूल्य के दो गुने से कम नहीं होगी :

परन्तु ऐसी वन उपज के मामले में जिसके संबंध में कोई अपराध किया गया है, और जो सरकार की सम्पत्ति नहीं है या ऐसी वन उपज के मामले में जिसका मूल्य एक हजार रुपए से कम है तथा यदि अपराधी ने प्रथम बार अपराध किया है, तो संदिग्ध व्यक्ति को उन्मोचित किया जा सकेगा और अभिगृहीत की गई सम्पत्ति, (वन उपज से भिन्न), यदि कोई है, दस हजार रुपये की राशि के संदाय पर या अभिगृहीत सम्पत्ति के मूल्य पर, जो भी कम हो, निर्मुक्त की जा सकेगी, अभिगृहीत वन उपज केवल तभी निर्मुक्त की जा सकेगी जब वह यथास्थिति सरकार की सम्पत्ति नहीं है या जब उसके मूल्य का संदाय कर दिया जाता है."

धारा ७१ का स्थापन.

१२. मूल अधिनियम की धारा ७१ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

उस अधिनियम के अधीन नियत जुर्मानों को परिवर्तित करने की शक्ति.

"७१ राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि पशु अतिचार अधिनियम, १८७१ (१८७१ का सं. १) की धारा १२ के अधीन नियत जुर्मानों के बदले में, इस अधिनियम की धारा ७० के अधीन परिबद्ध किए गए प्रत्येक पशु के लिए ऐसा जुर्माना उद्‌गृहीत किया जाएगा जैसा कि वह ठीक समझे किन्तु वह निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा, अर्थात् :—

प्रत्येक हाथी के लिये ——————————— एक हजार रुपए,

प्रत्येक ऊंट के लिये ——————————— दो सौ पचास रुपए,

प्रत्येक भेस के लिये ——————————— एक सौ रुपए

प्रत्यक बछड़, गधे, सुअर, मेढ़े, मेढ़ी, भेड़, मेमने,

बकरी या उसके मेमनों या अन्य पशु के लिए—————— - पचास रुपए :

परन्तु परिबद्धता की कालावधि के दौरान ऐसे पशु के रखरखाव का खर्च वन मण्डलाधिकारी द्वारा जुर्मानों के अतिरिक्त नियत क़ी गई प्रचलित दरों पर वसूलीय होगा."

धारा ७६ का संशोधन.

१३. धारा ७६ में खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(ग क) इस अधिनियम की धारा ५३ के अधीन अभिगृहीत सम्पत्ति को निर्मुक्त किए जाने के लिए दी जाने वाली प्रतिभूति का प्ररूप विहित करने के लिए ;

(ग-ख) इस अधिनियम की धारा ८०-ए की उपधारा (३) के अधीन वन पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध राज्य शासन को या इस निमित्त राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत ऐसे पदाधिकारी को अपील करने की कालावधि और रीति विहित करने के लिए "

धारा ७७ का संशोधन.

१४. मूल अधिनियम की धारा ७७ में, शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "पन्द्रह हजार रुपये" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2010

क्र. 2074-130-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, भारतीय वन (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2009 (क्रमांक 7 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No.7 OF 2010.

THE INDIAN FOREST (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 2009.

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

1. Short title.
2. Amendment of Central Act No. XVI of 1927 in its application to the State of Madhya Pradesh.
3. Amendment of Section 26.
4. Amendment of Section 33.
5. Amendment of Section 51.
6. Amendment of Section 52.
7. Amendment of Section 52-A.
8. Substitution of Section 53.
9. Amendment of Section 63.
10. Insertion of new Section 66-A.
11. Substitution of Section 68.
12. Substitution of Section 71.
13. Amendment of Section 76.
14. Amendment of Section 77.

MADHYA PRADESH ACT

No. 7 OF 2010.

THE INDIAN FOREST (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 2009.

[Received the assent of the President on the 16th March, 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 27th March, 2010.]

An Act further to amend the Indian Forest Act, 1927 it its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixtieth year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Indian Forest (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2009.

Amendment of Central Act No. XVI of 1927 in its application to the State of Madhya Pradesh.

2. The Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) (hereinafter referred to as the Principal Act), shall, in its application to the State of Madhya Pradesh, be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Section 26.

3. In sub-section (1) of Section 26 of the Principal Act, for the words "one thousand rupees", the words "fifteen thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of Section 33.

4. In sub-section (1) of Section 33 of the Principal Act, for the words "one thousand rupees", the words "fifteen thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of Section 51.

5. In sub-section (2) of Section 51 of the Principal Act, for the words "one thousand rupees", the words "fifteen thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of Section 52.

6. In Section 52 of the Principal Act,—

(i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) When there is reason to believe that a forest offence has been committed in respect of any reserved forest and protected forest or forest produce, the produce, and all tools, boats, vehicles, ropes, chains or any other article used in committing such offence may be seized by any forest officer or police officer."

(ii) after sub Section (5), the following sub-sections shall be added, namely :—

"(6) The seized property shall continue to be under custody until confirmation of the order of the authorised officer by the Appellate Authority or until the expiry of the period for initiating 'suo motu' action by him whichever is earlier, as prescribed under Section 52-A.

(7) Where the authorised officer having jurisdiction over the case is himslef involved in the seizure or investigation, the next higher authority may transfer the case to any other officer of the same rank for conducting proceedings under this section."

Amendment of Section 52-A.

7. In Section 52-A of the Principal Act, in sub-section (2) and sub-section (6), for the words "order of confiscation", the words "order of the authorised officer" shall be substituted.

Substitution of Section 53.

8. For Section 53 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Power to release property seized under Section 52.

"53. Any Forest-officer of a rank not inferior to that of a Ranger, who, or whose subordinate, has seized any tools, boats, vehicles or any other article under Section 52, may release the same on the execution by the owner thereof, of a security in a form as may be prescribed, of an amount equal to the value of such property, as estimated by such officer, for the production of the property so released, when so required, before the authorised officer under Section 52 or the Magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure has been made.".

9. In Section 63 of the principal Act, for the words "shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both", the words "shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months and may extend to two years, or with fine not less than five thousand rupees, or with both", shall be substituted. **Amendment of Section 63.**

10. After Section 66 of the Principal Act, the following new section shall be inserted, namely:— **Insertion of new Section 66-A.**

"66-A. Any person who attempts to contravene or abets the contravention of any provisions of this Act or the rules made thereunder shall be deemed to have contravened such provisions or rules." **Attempt or abetment of an offence.**

11. For Section 68 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely:— **Substitution of Section 68.**

"68. (1) The State Government may, by notification in the official Gazette, empower a Forest-Officer,— **Power to compound offences.**

(a) to accept from any person against whom a reasonable suspicion exists that he has committed any forest offence, other than an offence specified in Section 62 or Section 63, a sum of money by way of compensation for the offence which such person is suspected to have committed, and

(b) when any property has been seized as liable to confiscation, to release the same at any time before an order of confiscation is passed by the appropriate authority, on payment of the value thereof as estimated by such officer.

(2) On the payment of such sum of money, or such value, or both, as the case may be, to such officer, the suspected person, if in custody, shall be discharged, the property, if any, seized shall be released, and no further proceedings shall be taken against such person or property.

(3) A Forest-officer shall not be empowered under this section unless he is a Forest-officer of a rank not inferior to that of a Ranger, and the sum of money accepted as compensation under clause (a) of sub-section (1) shall in no case be less than two times the value of the forest produce:

Provided that in case the forest produce in respect of which an offence has been committed is not the property of the Government or in case the value of the forest produce is less than one thousand rupees and, if the offender has committed the offence for the first time, the suspected person may be discharged and the property (other than the forest produce), if any, seized may be released on payment of the sum of ten thousand rupees or the value of the seized property, whichever is less; the seized forest produce may be released only it if is not the property of the Government or on the payment of the value thereof, as the case may be."

12. For Section 71 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:— **Substitution of Section 71.**

"71. The State Government may, by notification in the official Gazette, direct that, in lieu of the fines fixed undr Section 12 of the Cattle-trespass Act, 1871 (1 of 1871), there shall be levied for each head of cattle impounded under **Power to alter fines fixed under that Act.**

Section 70 of this Act, such fines as it thinks fit, but not exceeding the following, that is to say :—

For each elephant	one thousand rupees
For each camel	two hundred and fifty rupees
For each buffalo	one hundred rupees
For each calf, ass, pig, ram, ewe, sheep, lamb, goat, kid or any other cattle.	fifty rupees:

Provided that the cost of maintenace of such cattle during the period of impoundment shall be recoverable at the prevailing rates as fixed by the Divisional Forest Officer, in addition to the fine."

Amendment of Section 76.

13. In Section 76, after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely :—

"(ca) to prescribe the form of a security to be furnished for release of the seized property under Section 53 of this Act;

(cb) to prescribe the period and manner of appeal against an order of the Forest Officer, to the State Government or to such officer as may be authorised by the State Government in this behalf undr sub-sectiion (3) of Section 80-A of this Act;".

Amendment of Section 77.

14. In Section 77 of the Principal Act, for the words "one thousand rupees", the words "fifteen thousand rupees" shall be substituted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010